# राजस्थान सरकार
## स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट – www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

स्वच्छ भारत– स्वच्छ राजस्थान
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ SBM/18/ 54913 दिनांक :– 13.12.18

## आदेश

स्वच्छता सर्वेक्षण–2019 के अंतर्गत समस्त नगर निकायों द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 तथा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) पोर्टल्स पर ऑनलाईन भरकर अपलोड़ करना अनिवार्य है।

1. City Profile and SLP.
2. Star Rating for Garbage free city.
3. ODF+ and ODF++ Online application for certification.

स्वच्छता सर्वेक्षण–2019 से पूर्व नगरीय निकायों के स्तर पर MIS portal को अपड़ेट किया जाना अनिवार्य है। इस कार्य हेतु उपनिदेशक (क्षेत्रीय) कार्यालय स्तर पर सतत रूप से मोनिटरिंग व सुपरविजन किया जाना आवश्यक है।

अतः इस सम्बन्ध में समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने संभाग की समस्त नगर निकायों की आवश्यक सूचनायें निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से पोर्टल्स पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चत करें। इस कार्य में नगर निकायों के स्टॉफ को तकनीकी सहायता सम्बन्धित सम्भाग के सहायक अभियंता (पर्यावरण) द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी। निम्नलिखित सहायक अभियंता (पर्यावरण) की ड़्यूटी उनके नाम के सम्मुख अंकित उपनिदेशक (क्षेत्रीय) कार्यालय में लगाई जाती है :–

| क्रम सं. | सहायक अभियंता (पर्यावरण) | वर्तमान पदस्थापन | संभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री प्रतीक कुमावत | नगर निगम, अजमेर | उपनिदेशक (क्षेत्रीय) अजमेर |
| 2 | श्री प्रदीप कुमार मिश्रा | नगर निगम, भरतपुर | उपनिदेशक (क्षेत्रीय) भरतपुर |
| 3 | श्री उपेन्द्र मीना | नगर निगम, बीकानेर | उपनिदेशक (क्षेत्रीय) बीकानेर |
| 4 | श्री सचिन मौर्य | नगर निगम, जोधपुर | उपनिदेशक (क्षेत्रीय) जोधपुर |
| 5 | श्री गौरव धीग | नगर निगम, उदयपुर | उपनिदेशक (क्षेत्रीय) उदयपुर |
| 6 | श्रीमती रिचा गौतम | नगर निगम, कोटा | उपनिदेशक (क्षेत्रीय) कोटा |
| 7 | श्री अच्युतधर द्विवेदी | नगर निगम, जयपुर | उपनिदेशक (क्षेत्रीय) जयपुर |



Scanned by CamScanner

उपरोक्त अभियंतागण उप निदेशक (क्षेत्रीय) कार्यालय स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण–2019 के साथ–साथ नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियम, 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबन्धन नियम, प्लास्टिक अपशिष्ठ प्रबन्धन नियम, औद्योगिक अपशिष्ठ प्रबन्धन नियम, ई–वेस्ट प्रबन्धन नियम व अन्य अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सतत मोनेटरिंग की जावेगी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आदि द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों की क्रियान्विति व पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही की जावेगी।

उक्त अभियंतागण तुरन्त सम्बन्धित उप निदेशक (क्षेत्रीय) कार्यालय में उपस्थिति देंगे एवं इनको वेतन भुगतान यथावत सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा किया जावेगा।

(पवन अरोड़ा)
**निदेशक एवं संयुक्त सचिव**

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ SBM/18/84914–85028 दिनांक :– 13.12.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
3. जिला कलक्टर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर।
4. आयुक्त, नगर निगम, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अभियन्ताओं को उपस्थिति हेतु पाबन्द कर, अधोहस्ताकर्ता को अवगत करना सुनिश्चित करें।
5. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
7. श्री ओ.पी. काला, अधिशाषी अभियन्ता (प्रभारी अधिकारी), सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट अनुभाग, निदेशालय।
8. श्री/श्रीमती......................................................, सहायक अभियन्ता (सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व पर्यावरण), नगर निगम.................................... को पालनार्थ।
9. संस्थापन शाखा, निदेशालय।
10. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ईमेल करने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
**मुख्य अभियंता**

Scanned by CamScanner